DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day

Tuesday **20260714**

.

Improve food quality, serve better-quality paneer: Guv to univ

▶ **Continued from P1**

KGMU spokesperson Prof K K Singh said the dean of student welfare contacted the chief proctor after the governor's remarks and orally instructed that non-vegetarian food would no longer be cooked or served in hostel messes. Governor Patel told KGMU's convocation Monday that a team from Jan Bhawan secretariat found non-vegetarian food being cooked in three hostels during inspections of university buildings, but stopped short of ordering a ban.

The governor highlighted food quality concerns, saying inspections of the hostels housing more than 500 students found expired spices being used in two messes. Calling it a serious lapse, she urged KGMU to tighten oversight, improve food quality and ensure better-quality paneer is served to students. Patel also directed the university to install washing machines in all hostels.

University officials said that inspection teams had flagged two or three issues during surprise checks and corrective steps, including action over the use of expired spices, had already been taken.

Man accused of killing jawan, father held after gunfight with cops: The main accused in the double murder of an Army jawan and his father in Bihar's Banka district was arrested after a gunfight with police early Monday, barely a day after the killings that were triggered by a land dispute within the family. TNN

How Karnataka put eggs on the school menu, six days a week

Awareness campaigns and pilot programmes have seen more students opt for eggs in their midday meal, with the state govt doubling down on evidence linking it to stronger health and nutrition outcomes

Sruthy Susan Ullas
@timesofindia.com

West Bengal's move to exclude eggs from midday meals has revived a familiar debate over nutrition, food choices and religious sensitivities. Karnataka's experience, however, shows that the issue need not be reduced to a simple eggs-versus-vegetarian-food binary.

After years of political opposition, objections from religious groups and administrative hurdles, eggs have become a regular part of school meals in Karnataka. Around 85% of the 47 lakh children enrolled in govt and aided schools now opt for eggs, while the rest are offered bananas.

The proportion choosing eggs was about 50% in Sept 2024, but has risen since eggs began to be served on all six school days instead of twice a week.

Getting The Message Across

Officials in the school education department attribute the rise in egg consumption partly to campaigns explaining their nutritional value. Videos, posters and other awareness material are regularly circulated in schools, while officials have been asked to engage directly with parents in areas where uptake remains low.

"The biggest challenge continues to be resistance from certain communities due to caste practices, religious beliefs and festival-related customs. Food habits are deeply rooted in culture, so participation cannot be forced. Our role is only to create awareness. We hope egg consumption will rise to 80-85% by next year," said a senior official in the department.

The programme remains voluntary. Schools serve eggs only after obtaining written consent from parents, and children who do not eat them are offered alternatives.

A Pilot Born Of A Crisis

The turning point came in Dec 2021, when eggs were introduced under a centrally sponsored initiative to tackle malnutrition.

Seven of Karnataka's 31 districts qualified for the intervention. The proportion of children affected by malnutrition and anaemia in those seven districts ranged from 69% (in Vijayapura) to 74% (in Yadgir). The pilot covered 14.4 lakh students from classes 1 to 8.

The programme cost roughly Rs 40 crore, of which the Centre bore 60%. Eggs were provided for four months at Rs 6 per child, on 12 days each month. Schools also monitored children's height and weight.

The decision immediately ran into opposition. Several religious leaders and mutts urged the BJP govt then in office to withdraw it. The Lingayat Dharma Mahasabha said it did not oppose people eating eggs but objected to their being served in schools. Other organisations also demanded a reversal.

The govt allowed the pilot to continue, and the evidence that followed strengthened the case for expansion.

Eggs being served as part of midday meal scheme to students at a govt school in Mysuru district of Karnataka

Evidence Shifts The Debate

The Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University studied 9,000 children in 60 schools. Half were in Yadgir, where children received eggs or bananas, and the rest in Gadag, where eggs were not served. Among girls in Yadgir, 80% gained between 0.9kg and 3.8kg. Boys recorded average weight gains of up to 1.7kg more than their counterparts in Gadag.

The school education department also reported a 6-7% rise in attendance on days when eggs were served. More than 91% of the children preferred eggs, while the rest chose bananas or chikki (peanut brittle).

Encouraged by these findings, the Basavaraj Bommai-led BJP govt expanded the programme to all districts in July 2022, providing eggs twice a week under the PM Poshan Shakti Nirman scheme.

The programme was scaled up again in 2024 under the Congress govt led by Siddaramaiah, with eggs being served on all six school days. The expansion was supported by a Rs 1,500-crore grant from the Azim Premji Foundation, which agreed to fund the additional four days for three years.

Expansion Brings New Issues

The increase in egg days has also exposed weaknesses in the programme's design.

In urban areas, schools commonly depend on NGOs to supply midday meals. Some do not serve eggs, leaving school authorities to make separate arrangements. Headmasters and teachers must identify vendors, procure eggs and ensure that they are cooked and distributed.

The reimbursement given stands at Rs 6 per egg. Actual prices often exceed that amount, forcing some headmasters and teachers to pay the difference themselves. Procurement and preparation have also added to teachers' duties.

Implementation remains uneven. A random audit by the Azim Premji Foundation found that 560 of 700 sampled schools were not serving eggs every day despite the six-day mandate.

Social resistance has not disappeared either. There have been instances of children leaving schools after eggs were introduced. Eleven schools in Dakshina Kannada said they could not serve eggs because they operated on the premises of temples or religious institutions.

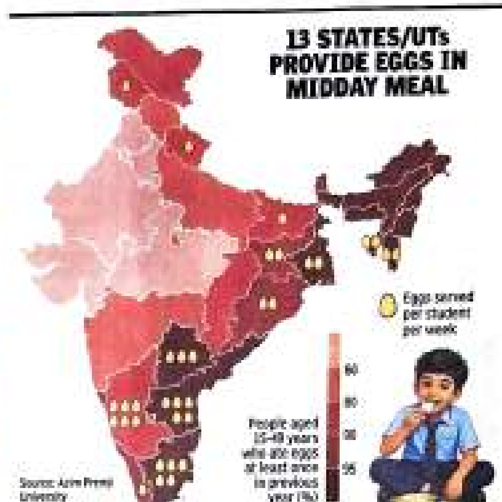

Eggs Vs The Alternatives

Food	Comparable portion	Protein	What it brings	The trade-off
EGGS	1 large egg, about 50g	6.3g	High-quality complete protein; vitamin B12, vitamin D and choline	Some can be allergic to eggs. Religious or cultural factors can prevent uptake
BANANA	About 100g edible portion	1.1g	Carbohydrates for energy, potassium, vitamin B6 and fibre	Nutritious, but not a protein replacement for an egg
PANEER	About 30g	5.5-6g	Complete dairy protein and calcium	Roughly matches an egg's protein, but is costlier, more perishable and generally higher in fat
SOYA CHUNKS/ SOYA	About 25g dry	12-13g	Protein-rich, low-fat and a source of fibre and iron	Must be soaked & cooked; dry and cooked weights can't be directly compared

Source: ICMR, USDA

Acceptance, But No Certainty

For activists who have long campaigned for eggs in midday meals, the programme's growing acceptance is encouraging.

"The only protein available at a reasonable price is eggs. Other protein sources such as almonds and cashews are far more expensive. It has been proved that the only feasible solution is eggs. Now, there has been some consistency in the state regarding the distribution of eggs. It should continue irrespective of the political leanings of the govt in the future, too," said V P Niranjanaradhya, an educationist.

The programme has survived changes in political leadership: it began as a limited intervention under a BJP govt, expanded statewide under the same administration and was scaled up further by Congress.

Yet campaigners argue that it still does not rest on a secure foundation. Public health specialist Dr Sylvia Karpagam also questioned why schools must separately procure eggs when meal providers do not supply them.

"The responsibility (to provide eggs) is with school development and monitoring committees, who have given it to headmasters and teachers. Why should teachers be sitting and boiling eggs? A lot of teachers are now resistant to the idea," she said.

A Question Of Choice

Research by Azim Premji University has also supported the inclusion of eggs in school meals, both for their nutritional value and because they can be supplied at scale.

"It is well known that eggs are not just nutritious, but also logistically feasible to provide at such a

Government Institute Of Medical Sciences (GIMS)
MEWAT DEVELOPMENT AGENCY, NUH (HARYANA)
EXPRESSION OF INTEREST
HIGH COURT OF UTTAR

The myth of the big happy Indian family

The jury is still out on whether Indians are indeed the most family-oriented people in the world. Intergenerational families that travel together, carrying their own food and dancing their dances, would make everyone think so. There is also the great Indian wedding where relatives, thrice removed, behave as integral body parts. The Indian family system still works within Asia's largely collectivistic culture. Which is why the growing number of elderly abuse cases should raise eyebrows for it ruptures the foundational principle of family: burden-sharing.

The Bombay High Court recently established that parents, irrespective of their financial status, can reverse a gift deed made to their children should they feel a breach of the underlying familial contract. The court ruled in favour of parents who had transferred property on the understanding that their son would care for them. They later alleged that the arrangement had broken down, forcing them to leave their home. They moved the tribunal, invoking the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, which cancelled the gift deed. The court rejected the son's petition to overturn the tribunal's decision.

Indian society's realities are far removed from perception. If perceptions of the big fat Indian family were correct, a country, where a majority follows a belief system where parental authority is almost divine, wouldn't need constitutional protections for the elderly. Experts say only one in 24 cases of elder abuse is formally reported, making the problem more common than it appears. The court's intervention has thus addressed a largely invisible domestic issue and sought to protect the interests and dignity of the elderly parents.

R. N. I. No. 503/1957 • Postal Reg. No. DL(NDI)-11/6058/2018-19-20 Licensed to p

Is the undocumented migrant counted?

Evidence using official Census data suggest that there is no surge of undocumented migrants from Bangladesh, at least between 1991 and 2011

DATA POINT

Abhishek Shaw

Can India's official statistics detect large-scale undocumented migration? Undocumented migrants may evade law, but can they evade the Census? If millions of them are living in India, they must appear somewhere in the country's official statistics. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju told Parliament that "As per available inputs, there are around 20 million illegal Bangladeshi migrants staying in India". Then, they must come across enumerators during the Census. What might an undocumented migrant do in such an encounter?

They can respond in three ways: avoid or duck the Census altogether, contributing to coverage error; be counted but report India rather than Bangladesh as the place of birth, creating measurement error; or report the place of birth truthfully.

Each of these choices leaves a different mark in the data, which can be checked. Together, this provides a simple framework for asking whether India's official data are consistent with the claimed scale of undocumented migration. But a framework based on birthplace has a built-in limit: the Census records where a person was born, not whether they entered legally. The same "born in Bangladesh" category contains citizens, visa-holders, and the undocumented alike, with nothing to tell them apart. What the data can speak to, then, is scale: whether a population of the claimed size exists at all.

Ducking

Ducking is hiding from the enumerator altogether. But hiding is not the only way to duck. A subtler version, for example, is to tell the enumerator "I don't actually live here; I will be counted at my usual residence elsewhere" and then not to be counted at that other place either. The outcome is the same, an omission, which is exactly what the Census is built to detect via the Post Enumeration Survey (PES). This has been conducted after every Census to estimate coverage error and reasons for measurement errors.

The 2011 PES finds a net omission of 23 persons per 1,000 nationally, or 2.3%, unchanged from 2001 (up from 1.8% in 1991). The Eastern zone, with States bordering Bangladesh and where "infiltration" claim is concentrated, is best covered (**Table 1**). What can be said confidently is that the population missed by enumeration is small, stable across the decades, and smallest at the border. This leaves little room for the unenumerated population of the scale the political claim requires.

Misreporting

The second option—being enumerated but recording one's birthplace as India rather than abroad—is the one that costs the least and can be neither verified nor refuted at the point of enumeration. But it has an implication: a person who misreports is still a person the Census has counted. This is what would be termed measurement error. They remain in the total population, in the count by religion, and in the age and sex tables, but the birthplace entry is false.

If, for example, large numbers of undocumented Muslim migrants were doing this, the effect would not be a hidden population but an inflated one—a Muslim population, and with a rate of population growth, larger than natural increase and differential fertility can account for—and concentrated in the border districts. That inflation has been examined in an earlier article in *The India Forum*, which found no such signature. If misreporting were hiding a large migrant inflow, it would surface as border-concentrated Muslim growth beyond what fertility explains. The counts showed growth that is moderate, fertility-consistent, and geographically dispersed instead.

Truthful Responses

The third option is to report their place of birth truthfully with the belief that the Census enumeration is anonymous and does not put them at risk. Migrant stock is a widely used measure to keep track of levels of migration. A person enumerated in India, but born in another country is considered a migrant in this measure.

The composition of the migrant stock in India has seen substantial declines of those born in Bangladesh and Pakistan, with large increases in that of Nepal (**Chart 1**). However, despite decline in overall migrant stock, about half of India's has consistently been Bangladesh-born persons.

In the last three Censuses, roughly 94% of all India's Bangladesh-born residents lived in the five border States (West Bengal, Assam, Tripura, Meghalaya, and Mizoram); a share that barely moved even as the national Bangladesh-born population itself fell by nearly one-third from about 4.0 million to 2.7 million.

Table 2 shows data from districts in the Eastern States bordering Bangladesh. Both by share and by absolute numbers across these districts, migrants who are overwhelmingly from Bangladesh are ageing and likely dying out. The younger age-groups show meagre numbers. Much of this population arrived during Partition in 1947 or the Bangladesh War in 1971. That generation is now elderly, and its numbers are falling chiefly because its members are dying.

Thus, the evidence using official data, in all its forms, suggest that there is no surge of undocumented migrants from Bangladesh, at least between 1991 and 2011.

The Census cannot tell us there are no undocumented migrants from Bangladesh. What it does tell, as checked in three different ways above, is that there are not 20 million of them.

Exaggerated claim

Abhishek Shaw is a faculty member with in the Economics Group in School of Humanities and Social Sciences, Azim Premji University (APU). The content and opinions expressed are the author's and are not necessarily endorsed by or reflect the views of APU

TABLE 1: This shows the net omission rates in each of the six zones (as defined by Census) in 2011

Zone	Net Omission Rate (%)	Undercount in 2011 (millions)	Percentage of Undercount
Central	4.17	12.78	46.6%
Northern	3.8	6.47	22.9%
Southern	1.5	3.9	13.8%
Eastern	0.86	2.2	8%
Western	1.17	2.02	7.4%
Northeast	1.26	0.57	2.1%
India	2.3	27.87	100%

CHART 1: This shows the share of people, whose place of birth was not India, counted in the last three Census

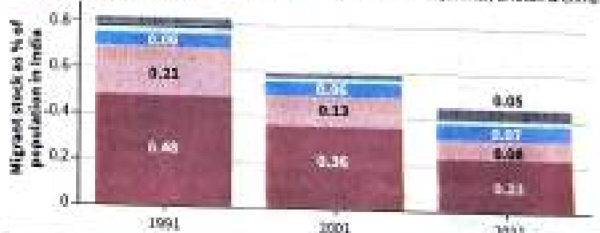

TABLE 2: This shows the number of people in different age groups and their share in total migrant stock in the districts in Eastern States bordering Bangladesh

Age group	2001		2011	
	No of people	% share in total migrant stock	No of people	% share in total migrant stock
0-4 years	2,699	0.2	1,982	0.18
5-9 years	7,348	0.55	3,467	0.31
10-14 years	22,991	1.71	7,030	0.63
15-24 years	72,081	5.35	38,340	3.41
25-34 years	1,42,446	10.58	81,108	7.21
35-59 years	6,48,416	48.14	5,01,655	44.62
60+	4,50,958	33.48	4,90,709	43.65
Total	13,46,939	100	11,24,291	100

ET

Oxford First to Begin Ebola Vaccine Trial

Teena Thacker

New Delhi: In a significant move in the global response to the ongoing Ebola outbreak in Africa, the University of Oxford's vaccine candidate has become the first against Bundibugyo ebolavirus to enter Phase 1 clinical trials.

The trial will evaluate the safety and immune response of the ChAdOx1 BDBV vaccine in 50 healthy volunteers aged 18 to 55.

The candidate uses the same viral vector platform as the Oxford/AstraZeneca Covid-19 vaccine, credited with saving over six million lives in its first year. To support the rapid launch of the study and progression of the vaccine candidate into clinical evaluation, Serum Institute of India (SII) has manufactured and stockpiled approximately 620,000 doses of the ChAdOx1 BDBV vaccine candidate in two weeks for potential future use and has supplied 4,000 investigational doses for this Phase I trial, the company said in a statement. "The ongoing Bundibugyo outbreak continues to devastate affected communities," said Professor Teresa Lambe OBE, lead investigator. "Our team has worked tirelessly with global partners to develop this candidate, demonstrating how collaborative partnerships enable rapid response." The Bundibugyo outbreak is now the third-largest Ebola outbreak on record, with cases continuing to climb. The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations has committed $8.6 million to advance vaccine development. "The programme builds on CEPI's strategic partnership with the University of Oxford and SII's participation in CEPI's Vaccine Manufacturing Facility Network."

Adar Poonawalla, CEO, SII, said, "During outbreaks, speed, preparedness and global collaboration are essential to advancing vaccine candidates quickly and responsibly. We are proud to contribute to this effort alongside CEPI, the University of Oxford and other partners".

'Comprehensive sex edu' coming soon to schools, govt tells SC

Amit Anand.Choudhary
@timesofindia.com

CHILD SEXUAL ABUSE IN CORE SYLLABUS

- **Report by 26-member panel suggests** subject on 'child sexual abuse' be made part of core syllabus in schools
- **'Adolescent education curriculum** includes concepts such as gender equality, health and hygiene, cyber safety, emotional well-being, and age appropriate components of sex education,' report says
- **'Concepts such as consent may be excluded for younger groups** and introduced in a sensitive manner at secondary stage in a medico-legal framework,' report says
- **Progressive, age-specific framework for all topics,** especially consent, **must be adopted**, it further says
- Panel says basic concepts of safety, body parts and hygiene & concepts like **safe-unsafe touch may be introduced from foundational stage**

New Delhi: The long-standing taboo around sex education is finally set to end in India, with the subject poised to become a formal part of school curriculum.

The govt on Monday told the Supreme Court it is agreeable to introduce "comprehensive sex education" in schools/colleges as recommended by a committee and it would be implemented once approval is received from the court.

Appearing before a bench of Justices B V Nagarathna and R Mahadevan, additional solicitor general Aishwarya Bhati said govt has accepted the report, which will be implemented across the country.

The report has been filed in compliance with the apex court's order to explore ways to prevent an increasing number of cases of minor pregnancy and adolescent love from being criminalised under Pocso.

▶ 'Child sex abuse', P 14

AI की दुनिया

मटर-सोया को भी नॉनवेज बना देगी तकनीक!

क्या मटर, सोया या दूसरी सब्जियों से ऐसा चिकन और मटन तैयार हो सकता है, जिसका स्वाद और बनावट असली नॉनवेज जैसा हो? वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य मे AI इसे संभव बनाने मे बड़ी भूमिका निभा सकता है।

AI Image

मीट का विकल्प नेचर फूड मे प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, मटर, सोया, दाल से मिलने वाले प्रोटीन, तेल का विश्लेषण करके AI यह बता सकता है कि उन्हे कैसे मिलाया जाए ताकि स्वाद, खुशबू और टेक्सचर नॉनवेज जैसा महसूस हो। इससे प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, फर्मेंटेशन प्रोटीन और लैब मे तैयार मांस जैसे विकल्प बेहतर बन सकते है।

स्वाद की खोज AI बता सकता है कि खाद्य पदार्थ कितना पौष्टिक होगा, कब तक ताजा रहेगा और उसकी बनावट कैसी होगी। यहां तक कि नई रेसिपी तैयार करने और रोबोटिक लैब के जरिए नए खाद्य उत्पाद तेजी से विकसित करने मे भी मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि तकनीक के लिए बड़ी मात्रा मे भरोसेमंद डेटा की जरूरत होगी।

-प्रदीप तिवारी

नहीं दे रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र पहले से कहीं अधिक तेजी से ... कहते हुए इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा के बदले शुल्क वसूलने की बात ... में संघर्ष का यह चक्र खत्म होने से रहा।

ताकि सोशल मीडिया पर बच्चे सुरक्षित हों

भारत में भारी मुनाफा कमा रहीं विदेशी टेक कंपनियों से जुर्माना नहीं वसूलने से साइबर अपराध और डिजिटल अराजकता बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार, बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले करोड़ों गैर-कानूनी खातों और विज्ञापनदाताओं के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ के नए फैसले के अनुसार, बच्चों से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई नहीं करने पर पॉक्सो कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस बारे में दिसंबर, 1992 में हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र की संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

अरुणाचल प्रदेश में बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में स्कूल प्रशासन ने पुलिस और अधिकारियों को जानकारी नहीं दी थी। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने आरोपित शिक्षिका को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के अनुसार, अब शिक्षिका के खिलाफ पॉक्सो और आईपीसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2007 की रिपोर्ट के साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने बच्चों के यौन उत्पीड़न मामलों में वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी। जून 2012 में पॉक्सो कानून के साथ विस्तृत नियम बनाए गए। बच्चों के यौन-उत्पीड़न को रोकने के लिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में भी सख्त कानून हैं।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

उत्तर प्रदेश के एक इंजीनियर दंपती को बाल-यौन शोषण और पोर्नोग्राफी मामले में फरवरी 2026 में सीबीआई की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।

स्मार्टफोन और इंटरनेट की डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयसस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने चिंता जाहिर की है। ऑनलाइन दुनिया में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े दो बड़े पहलू हैं। अमेरिका के चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया जॉइन नहीं कर

सकते। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, ब्राजील व तुर्किये जैसे अनेक देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, मलेशिया, नॉर्वे, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में इस बारे में कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

सोशल मीडिया कंपनियां डिजिटल अनुबंध के माध्यम से बच्चों के डाटा का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। यही कारण है कि भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार, नाबालिग बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से पैसों का लेन-देन भी नहीं कर सकते। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड होने की वजह से अमेरिकी कानून से संचालित होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केएन गोविंदाचार्य मामले में 23 अगस्त, 2013 को आदेश दिया था, जिसके अनुसार तेरह साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया जॉइन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून की सराहना की है। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले और दूसरे कानूनों के अनुसार, मजबूत नियामक और उचित क्रियान्वयन के माध्यम से नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है।

सोशल मीडिया में बच्चों के यौन-शोषण और पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री के प्रसार से जुड़ा दूसरा मामला बेहद गंभीर है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टाग्राम ने व्यावसायिक मुनाफे के लिए रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के माध्यम से बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को भारत में बढ़ावा दिया है। सरकार की नोटिस के बाद इंस्टाग्राम ने ब्लॉग से स्पष्टीकरण देने के बाद औपचारिक जवाब भी भेजा है। कंपनी के अनुसार, पिछले छह महीनों में भारत में 1.6 लाख संदिग्ध खातों को हटाया गया है। पिछले साल दुनियाभर में फेसबुक और इंस्टाग्राम में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध खातों के साथ बच्चों से जुड़े 3.6 करोड़ कंटेंट हटाने का दावा भी किया गया है। 96 फीसदी मामलों में मेटा कंपनी ने आंतरिक पहचान, रिपोर्टिंग सिस्टम और एआई के माध्यम से कार्रवाई करने का दावा किया है।

इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देना आईटी कानून, बीएनएस और पॉक्सो कानून के तहत गंभीर अपराध है। इंस्टाग्राम के ब्लॉग में लिखा है कि आईटी नियम, 2021 के अनुसार, कंपनी ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है। ऐसे में, सवाल उठता है कि पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अमेरिका में मेटा को नोटिस भेजने के बजाय भारत स्थित नोडल अधिकारी को जवाब के लिए क्यों नहीं बुलातीं? संशोधित आईटी नियमों के अनुसार, ऐसे कंटेंट को दो घंटे में हटाना चाहिए। लेकिन, इंस्टाग्राम को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मिलने से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का मुद्दा कमजोर हो रहा है।

सोशल मीडिया कंपनियों को मध्यस्थ मानते हुए उन्हें सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा मिलती है। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2021 में ट्विटर (अब एक्स) की सेफ हार्बर की सुविधा खत्म करने की बात कही थी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के भारत स्थित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। आपराधिक कंटेंट को बढ़ावा देने और कानून का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म करने के लिए आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 2023 में संसद में बयान दिया था। अमेरिका में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों का पालन नहीं करने के मामले में चार राज्यों ने मुकदमा दायर करके मेटा कंपनी से 14 खरब डॉलर हर्जाने की मांग की है। 14 अन्य राज्यों के मुकदमों की सुनवाई अगले साल फरवरी में होगी। यूरोपीय आयोग मेटा से 12 अरब डॉलर हर्जाना वसूलने की तैयारी कर रहा है। पर, भारत में भारी मुनाफा कमा रहीं विदेशी टेक कंपनियों से जुर्माना नहीं वसूलने से साइबर अपराध व डिजिटल अराजकता बढ़ रही है।

बांदा के इंजीनियर दंपती को फांसी की सजा देते हुए जज ने उसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कहा था। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले करोड़ों गैर-कानूनी खातों और विज्ञापन दाताओं के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होना चाहिए।

edit@amarujala.com

व्यापारी ने धन को ही भगवान मान लिया। जब वही धन-संपदा उससे छिन ग

हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर क्या धुंधला-सा दिखाई दे रहा है, बल्कि वह करना है, जो सामने स्पष्ट रूप से मौजूद है। हमारे पास वर्तमान है, जिसमें मेहनत करके हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।

वर्तमान ही जीवन को बेहतर बना सकता है

मैंने अपने जीवन में एक बात बार-बार देखी है कि मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है-भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ। अधिकांश लोग या तो बीती हुई गलतियों और दुखों में उलझे रहते हैं या फिर उस भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, जो अभी आया ही नहीं है। इस चिंता में वे अपने वर्तमान का सबसे मूल्यवान समय खो देते हैं। जबकि, सच्चाई यह है कि हमारे हाथ में केवल आज है। इसलिए, मेरा विश्वास है कि जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम अपने आज के कार्य को पूरी लगन, विश्वास और ऊर्जा के साथ करें, क्योंकि यही वर्तमान हमारे भविष्य की नींव तैयार करता है।

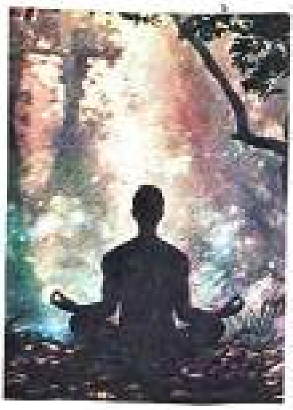

मैं आपसे एक घटना का जिक्र करता हूं। वर्ष 1871 में एक युवा मेडिकल छात्र ने एक पुस्तक में कुछ शब्द पढ़े। वे शब्द थे, 'हमारा मुख्य काम यह देखना नहीं है कि दूर क्या धुंधला-सा दिखाई दे रहा है, बल्कि वह करना है, जो हमारे सामने स्पष्ट रूप से मौजूद है।' इन शब्दों ने उस युवक का पूरा जीवन बदल दिया। वह युवा छात्र आगे चलकर सर विलियम ऑस्लर के नाम से विश्व के सबसे सम्मानित चिकित्सकों में गिना गया। जब लोग उनकी असाधारण सफलता का रहस्य पूछते थे, तो उन्हें लगता था कि यह उनकी असाधारण बुद्धिमता का परिणाम है। लेकिन, सच्चाई कुछ और थी। उनका रहस्य था-वर्तमान में जीना। उन्होंने अपने जीवन को 'दिन-प्रतिदिन' जीना सीखा। वह कल की असफलताओं और आने वाले कल की चिंताओं को वर्तमान पर हावी नहीं होने देते थे।

मेरा मानना है कि बीते हुए कल को कोई भी बदल नहीं सकता और भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में कभी नहीं होता। हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। यदि हम इसी क्षण का सर्वोत्तम उपयोग कर लें, तो हमारा भविष्य स्वयं बेहतर बनने लगता है। भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी भविष्य के बारे में चिंता करना नहीं, बल्कि आज के कार्य को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करना है। मैंने यह भी देखा है कि सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के पास जाती है, जो अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। वे अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि अपने सामने मौजूद अवसरों का पूरा लाभ उठाते हैं। समय का सही उपयोग ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अत्यधिक चिंता मनुष्य की शक्ति, आत्मविश्वास और उत्साह को धीरे-धीरे समाप्त कर देती है। उसी प्रकार अतीत के दुखों को बार-बार याद करना भी जीवन की शांति छीन लेता है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अतीत से सीख लें, भविष्य के लिए उचित योजनाएं बना लें, लेकिन अपनी पूरी शक्ति वर्तमान के कर्मों में लगा दें।

मैं हमेशा कहता हूं कि कल की चिंता आज की शक्ति को कमजोर कर देती है। यदि आप आज को श्रेष्ठ बना लेते हैं, तो आने वाला हर कल अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए अपने सामने मौजूद अवसरों को पहचानिए, पूरे विश्वास के साथ मेहनत कीजिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए।

जो करना है, आज ही करें

सूत्र

भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ को छोड़कर हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही वह शक्ति है, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। जो व्यक्ति आज के कार्य को पूरी मेहनत, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करता है, वही अपने आने वाले कल को सफल बनाता है। इसलिए, जो करना है, आज ही करें।

चिंताजनक

आदिवासी इलाकों में फैल रहा संक्रमण, झारखंड में कई बच्चों की हो चुकी मौत, असम में अलर्ट

हॉटस्पॉट जिलों में मलेरिया बड़ी चुनौती, सरकार की बढ़ी मुश्किलें

हिमांशु अरविंद मिश्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। दावा है कि 2015 की तुलना में 2023 तक देश में मलेरिया के मामलों में 80.5% और मौतों में 78.3% की कमी आई है। इसी आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (एचबीएचआई) देशों की सूची से भी बाहर कर दिया है।

सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में स्थानीय मलेरिया संक्रमण को पूरी तरह खत्म करना और 2030 तक डब्ल्यूएचओ से मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणपत्र हासिल करना है। लेकिन मानसून के बीच देश के कई राज्यों से आ रहे मलेरिया के मामले सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं।

झारखंड-असम के मामलों ने बढ़ाई चिंता

सबसे गंभीर स्थिति झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जहां सेरेब्रल मलेरिया से पहले चार बच्चों की मौत हुई और बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर छह तक पहुंच गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया। करीब तीन हजार लोगों की जांच में 150 से अधिक संक्रमित मिले। लगातार नए मरीज सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ उपचार, निगरानी और रोकथाम व्यवस्था की समीक्षा की। असम के बोडोलैंड क्षेत्र के तमुलपुर जिले के चाय बागानों में एक महीने के भीतर 95 मलेरिया मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया।

160 से ज्यादा जिलों में शून्य संक्रमण का दावा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (2016-2030) और नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान (2023-2027) के तहत चरणबद्ध रणनीति बनाई है। इसके तहत 2027 तक स्थानीय मलेरिया संक्रमण शून्य करने की तैयारी है। इसके बाद 2030 तक डब्ल्यूएचओ से मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। 160 से अधिक जिलों में स्थानीय संक्रमण पहले ही समाप्त होने का दावा किया जा रहा है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक परजीवी संक्रमण दर (एपीआई) प्रति हजार आबादी पर एक से नीचे पहुंच चुकी है। इंटेंसिफाइड मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट (आईएमईपी-3) के तहत 12 राज्यों के 159 उच्च जोखिम वाले जिलों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

80% मामले अब 20% आबादी वाले इलाकों से

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार, देश के करीब 80 प्रतिशत मलेरिया के मामले केवल 20 प्रतिशत आबादी वाले आदिवासी, वन और दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं। यानी भारत में अब मलेरिया पूरे देश की समस्या नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा हॉटस्पॉट जिलों की बीमारी बन गया है। यही जिले 2030 के लक्ष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं।

मानसून रेखा टूटने से गर्मी बढ़ी, हवा में भी प्रदूषण कण फैले

उमस के साथ जहरीली हवा से जूझ रही दिल्ली

मौसम का मिजाज

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्लीवालों पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। बारिश न होने से उमस और तीखी गर्मी तो सता ही रही है, हवा भी जहरीली बनी हुई है।

मानसून रेखा के टूटने से दिल्ली समेत पश्चिमोत्तर भारत के बड़े हिस्से में सप्ताहभर अच्छी बारिश के आसार नहीं है। इससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया।

दिल्ली में इस बार मानसून का अभी तक का लेखा-जोखा आधा-अधूरा सा ही है। पहले तो करीब पांच दिन की देरी से दो जुलाई को मानसून दिल्ली पहुंचा। इसके बाद 10 जुलाई के बीच अलग-अलग हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। लेकिन बारिश का यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला और मानसून की रेखा हिमालय की तराई की तरफ खिसक गई। इसके दूर होने के साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाके में मानसून की गतिविधियां थम गईं।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

46 डिग्री तक महसूस हुई गर्मी : मौसम गर्म होने के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार की शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर रहा। जबकि, इस दौरान नमी का स्तर 46 फीसदी और हवा की रफ्तार 9.3 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इस दौरान लोगों ने 46.4 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी महसूस (फील लाइक टेंपरेचर) की।

मानसून ब्रेक की स्थिति : भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी कृष्णा मिश्रा बताते हैं कि मानसून के समय हवा के निम्न दबाव की एक रेखा बनती है जो उत्तरी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसे ही मानसून की रेखा या मानसून ट्रफ कहते हैं। यह रेखा ऊपर या नीचे की ओर स्थान बदलती रहती है। इसी के अनुसार बारिश की गतिविधियां भी धीमी या तेज होती हैं। जहां पर मानसून की रेखा मौजूद होती है वहां पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। जब रेखा हिमालय के तराई वाले हिस्से में पहुंच जाती है तो बारिश की गतिविधियां सीमित हो जाती है और मानसून ब्रेक की स्थिति बनती है।

ईरान से उठा धूल का गुबार बना आफत

ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए धूल के बवंडर के कारण दिल्ली की हवा जुलाई के महीने में भी खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चार साल बाद जुलाई में दिल्लीवालों को ऐसे दमघोंटू प्रदूषण का सामना करना पड़ा है।

यहां सांसों पर संकट

आनंद विहार	391
वजीरपुर	321
जहांगीरपुरी	316
आईआईटी दिल्ली	311

इसलिए बिगड़ी हवा

1 धूल भरी आंधी
ईरान, अफगानिस्तान और पाक के एक बड़े हिस्से में उठे भीषण धूल के तूफान के कण उड़कर दिल्ली-एनसीआर के आसमान पर छा गए हैं।

2 पाकिस्तान का एंटी साइक्लोन
मध्य क्षोभमंडल (जमीन से 3 से 8 किमी ऊपर) में एक प्रति-चक्रवात बना है। यह हवा को ऊपर ले जाने के बजाय नीचे की तरफ दबा रहा है, जिससे धूल वातावरण में ही जम गई है।

3 हवा का बदला रुख
जुलाई में आमतौर पर बंगाल की खाड़ी से नम पूर्वी हवाएं आती हैं जो बारिश लाती हैं। लेकिन मानसून ब्रेक के कारण धूलभरी हवाएं चल रही हैं, जो अपने साथ प्रदूषण ला रही हैं।

फिलहाल ग्रैप नहीं लगेगा

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का कहना है कि यह प्रदूषण स्थानीय कारणों से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय धूल के तूफान की वजह से बढ़ा है। रविवार के मुकाबले सोमवार को थोड़ा सुधार दिखा है। अगले 24 से 48 घंटों में धूल के कण नीचे बैठ जाएंगे और हवा साफ हो जाएगी। इसी उम्मीद को देखते हुए फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का पहला चरण लागू नहीं करने का फैसला किया गया है।

MANGALAYATAN

कैंसर संस्थान में रेडियोथेरेपी जल्द

नई दिल्ली, प्र. सं.। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (डीएससीआई) में चिकित्सा सुविधाओं को पटरी पर लाने की कवायद तेजी हो गई है। अस्पताल में रेडियोथेरेपी की नई लीनियर एक्सीलेटर मशीन आई है।इसे स्थापित करने का काम चल रहा है।

रेडियोथेरेपी की मशीन स्थापित करने से लेकर उसके संचालन तक में रेडिएशन सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इस वजह से मशीन को स्थापित करने व ट्रायल में थोड़ा समय लगेगा। फिर भी चार से पांच माह में नई मशीन से कैंसर मरीजों की रेडिएशन थेरेपी देने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

इंदिरा गांधी अस्पताल में बुजुर्गों के लिए ओपीडी

अच्छी खबर

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार के इंदिरा गांधी अस्पताल में सोमवार को जेरियाट्रिक क्लीनिक की शुरुआत की गई।दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इसका शुभारंभ किया।

क्लीनिक में बुजुर्गों के इलाज के लिए अलग ओपीडी चलेगी।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पहल से बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा जरूरतमंद बुजुर्ग मरीज की प्रमुखता के आधार पर एक्सरे जांच की जाएगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए अलग इंजेक्शन रूम और फिजियोथेरेपी की सुविधा की गई है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग इस जेरियाट्रिक क्लीनिक में उपचार पा सकेंगे। डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जेरियाट्रिक क्लीनिक में वरिष्ठ नागरिकों को आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष चिकित्सकीय परामर्श दिया जा सकेगा।

देश की जरूरत अनुसार स्वास्थ्य अनुसंधान होगा

तकनीक

- नई स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का मसौदा जारी
- डेंगू, मलेरिया, तपेदिक है सबसे बड़ी चुनौतियां

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में जिन बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है, उन पर केंद्रित अनुसंधान किए जाएंगे। इससे इन बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए नए उपाय किए जा सकेंगे। साथ में नई और किफायती तकनीकें भी विकसित होंगी। नई स्वास्थ्य अनुसंधान नीति में ये प्रावधान किए जा रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति (एनएचआरपी) का मसौदा जारी किया गया है। इसमें विभिन्न पक्षों से 27 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। यह पहली बार है जब देश में स्वास्थ्य अनुसंधान को लेकर नई नीति का प्रारूप जारी किया गया है।

मसौदे में देश में फैल रही बीमारियों के आधार पर चिकित्सा अनुसंधान करने, किफायती तकनीकें विकसित करने, लोगों के स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्वदेशी समाधानों पर जोर, उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का मुकाबला करने में स्वास्थ्य तंत्र को सक्षम बनाना तथा स्वास्थ्य तकनीकों के मामले में आत्मनिर्भर बनने को तरजीह दी गई है। नीति में स्वास्थ्य अनुसंधान में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि इसके जरिये स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती प्रदान की जा सके।

भारत में डेंगू, मलेरिया, तपेदिक जैसी बीमारियां बड़ी चुनौती हैं। चूंकि, पश्चिमी देशों में ये बीमारियां कम हैं, इसलिए इन पर अनुसंधान कम होते हैं। लेकिन, नई नीति के मसौदे से साफ है कि भारत ऐसी बीमारियों पर अनुसंधान तेज करेगा।

...भेंट की गणना के दौरान वित्तीय ... की धनराशि और भेंट सामग्री चोरी की। ... समितियां 11 नवंबर 2020 के ट्रस्ट ... समिति में ट्रस्ट के सदस्यों के अतिरिक्त

शिक्षा व्यवस्था में क्रांति जरूरी : राहुल गांधी

निशाना

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पेपर लीक के मुद्दे को धार देने में जुटी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब 'बेईमान वसूली तंत्र' बन चुकी है और अब इस क्षेत्र में क्रांति का समय आ गया है।

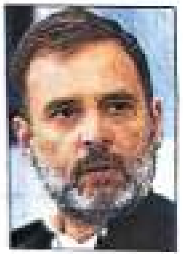

पार्टी का कहना है कि वह सत्र के दौरान पूरी ताकत के साथ पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। पार्टी पेपर लीक पर संसद में चर्चा कराने की भी मांग कर सकती है। ताकि, इस मुद्दे को विस्तार से देश के सामने रखा जा सके। इस सिलसिले में राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को संबोधित कर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधेंगे। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट कर कहा कि देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती और बेईमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था अब बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है और जो व्यवस्था बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बनाई गई थी, वही उन्हें तथा उनके परिवारों को कर्ज, तनाव और निराशा की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि इससे बाहर निकलना बेहद जरूरी है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में दोषी वेंडर्स और अधिकारियों को कार्रवाई के बजाय ठेके और तरक्की मिलती है, जबकि इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बहुत हो चुका है। शिक्षा में क्रांति का वक्त आ चुका है। इसलिए 17 जुलाई को देहरादून में उनके साथ आइए और छात्रों की गूंज को और बुलंद कीजिए।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार का 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' का नारा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मई 2014 के बाद की घटनाओं ने इस दावे की वास्तविकता को उजागर कर दिया है। जयराम ने कहा कि मनमोहन सिंह ने इसे संगठित लूट और वैध ठहराई गई लूट बताया था। जयराम ने आरोप लगाया कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को ओएनजीसी में विलय कर 20,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले को छिपाने का प्रयास किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- लड़के-लड़की के भागने को कैसे रोक सकती है राज्य सरकार

पॉक्सो के दुरुपयोग से कोर्ट खफा

अदालत से

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि 'राज्य प्रेम संबंध में बंधे लड़के और लड़की के भागने को कैसे रोक सकता है?' शीर्ष अदालत ने आपसी सहमति से बने यौन संबंधों वाले किशोरों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी की।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि जब किशोर लड़कियां अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, तो माता-पिता अक्सर अपनी तथाकथित 'इज्जत/प्रतिष्ठा' बचाने के लिए आपराधिक कानूनी कार्रवाई का सहारा लेते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राज्य किसी लड़की और लड़के के भागने को कैसे रोक सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि 15 से 18 साल की उम्र संवेदनशील होती है और यह नई चीजें आजमाने या अनुभव करने की उम्र है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे मामलों में क्या यह वाकई पॉक्सो का मामला बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों की निजता के अधिकार से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करने के दौरान यह टिप्पणी की।

सिस्टम की विफलता पर सख्त रिपोर्ट : वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने पीठ से कहा कि इस मामले की शुरुआत एक नाबालिग लड़की के 25 साल के युवक के साथ भागने से हुई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने उस लड़की से बातचीत की थी, जिसके बाद उस व्यक्तिगत मामले को मोटे तौर पर बंद कर दिया गया था। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता दीवान ने यह भी कहा कि पॉक्सो कानून के तहत नाबालिगों को पुनर्वास के कुछ उपाय पाने का अधिकार है।

भोजशाला पर सुनवाई करेगी आला अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भोजशाला कॉम्प्लेक्स को देवी सरस्वती का मंदिर बताने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने 15 मई के फैसले में कहा था कि भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है।

सरकार की अर्जी पर रेवन्ना को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार की याचिका पर विचार पर सहमति जताई। याचिका में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत जद (एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप हटा दिया गया था। मामले में रेवन्ना को नोटिस जारी किया गया है।

सार्वजनिक स्थान पर पॉर्न देखने पर रोक संबंधी याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील सामग्री (पॉर्न) देखने पर रोक लगाने का निर्देश केंद्र सरकार को देने संबंधी एक जनहित याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह एक नीतिगत मामला है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वे सरकारी अधिकारियों के पास अपनी बात रखें।

तमिलनाडु में गाय के वध संबंधी आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य में किसी भी गाय या बछड़े का वध न हो। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया था कि राज्य में कहीं भी, न तो बकरीद की पूर्व संध्या (28 मई) पर और न ही किसी अन्य दिन, किसी गाय या बछड़े का वध किया जाए।

'हवाई किराया नियंत्रित करने को नए कानून बनाए'

नई दिल्ली, वि.सं.। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि विमानन कंपनियों द्वारा मनमाना किराया वसूली पर लगाम के लिए नए कानून बनाएं हैं। इसे अगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र से किराया नियंत्रण और नियमन के लिए बनाए गए कानून/नियमों की एक प्रति दो सप्ताह के भीतर पेश करने का आदेश दिया।

निवेश और बच्चे के लिए बुने गए स्वप्न में तालमेल जरूरी

माता-पिता अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए जो सपना देखते हैं, उसके लिए प्रयास बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। अच्छी शिक्षा, करियर और अन्य बड़े लक्ष्यों के लिए केवल बचत नहीं, बल्कि निवेश और वित्तीय लक्ष्य के बीच सही तालमेल जरूरी है। अलग-अलग लक्ष्यों के हिसाब से निवेश रणनीति तय करनी चाहिए। इसका चुनाव बच्चे की उम्र, लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए, तभी भविष्य के लिए मजबूत वित्तीय नींव तैयार होगी।

सबसे पहले तय करें निवेश का लक्ष्य

निवेश शुरू करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि पैसा किस उद्देश्य के लिए जमा किया जा रहा है। यदि आने वाले [illegible] वर्षों में स्कूल फीस, कोचिंग या अन्य खर्च के लिए धन चाहिए, तो निवेश का तरीका अलग होगा। वहीं, यदि लक्ष्य 15 से 20 वर्ष बाद उच्च शिक्षा या करियर निर्माण के लिए फंड तैयार करना है तो लंबी अवधि के निवेश विकल्प अधिक उपयुक्त होंगे। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों के लिए कम से कम तीन अलग-अलग लक्ष्य तय किए जाएं-शिक्षा, उच्च शिक्षा और आपातकालीन जरूरतें। इसी के अनुसार निवेश रणनीति तैयार करें।

नियमित निवेश जारी रखें

अक्सर देखने में आता है कि कई अभिभावक कुछ अंतराल के बाद किसी निवेश योजना में पैसा जमा करना बंद कर देते हैं या समय से पहले निकाल लेते हैं। ऐसा करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। लंबी अवधि में नियमित निवेश अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए किसी भी योजना में नियमित निवेश जारी रखें। इसके साथ ही हर वर्ष निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए ताकि लक्ष्य के अनुसार रिटर्न का आकलन किया जा सके।

छोटी अवधि के निवेश विकल्प

सावधि जमा (एफडी)

बच्चे के नाम पर या अभिभावक के साथ संयुक्त नाम में एफडी कराई जा सकती है। जिन परिवारों को पूंजी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण लगती है, उनके लिए यह उपयुक्त विकल्प माना जाता है। एफडी शिक्षा शुल्क, स्कूल प्रवेश या पांच वर्ष तक की जरूरतों के लिए उपयोगी हो सकती है। इसमें [illegible] अवधि के अनुसार 6 से 8.5 फीसदी तक ब्याज मिलता है।

बैंक रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी)

यदि माता-पिता हर महीने छोटी राशि जमा करना चाहते हैं तो आरडी एक आसान विकल्प है। इसमें हर महीने तय रकम जमा करनी होती है और अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित राशि मिल जाती है। इसमें सालाना 6%-8% ब्याज मिलता है। इसका लाभ यह है कि निवेश सुरक्षित रहता है और बाजार के उतार-चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता।

कैसे निवेश करें : किसी भी बैंक शाखा या डाकघर के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से भी एफडी या आरडी खाता खोला जा सकता है।

लंबी अवधि के निवेश विकल्प

1. सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियों के लिए यह सबसे लोकप्रिय सरकारी बचत योजनाओं में से एक है। इसमें माता-पिता बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं और हर वर्ष निर्धारित सीमा तक निवेश कर सकते हैं। इस योजना की विशेषता यह है कि सरकार द्वारा निर्धारित आकर्षक ब्याज मिलता है और कर लाभ भी उपलब्ध है। बेटी की उच्च शिक्षा और विवाह जैसे दीर्घकालिक जरूरतों के लिए यह एक प्रभावी विकल्प माना जाता है।

2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)

माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। 15 वर्ष की अवधि वाली यह योजना सुरक्षित निवेश के साथ कर लाभ भी प्रदान करती है। पीपीएफ उन परिवारों के लिए अच्छा विकल्प है जो जोखिम कम रखना चाहते हैं और लंबी अवधि में स्थिर वृद्धि चाहते हैं।

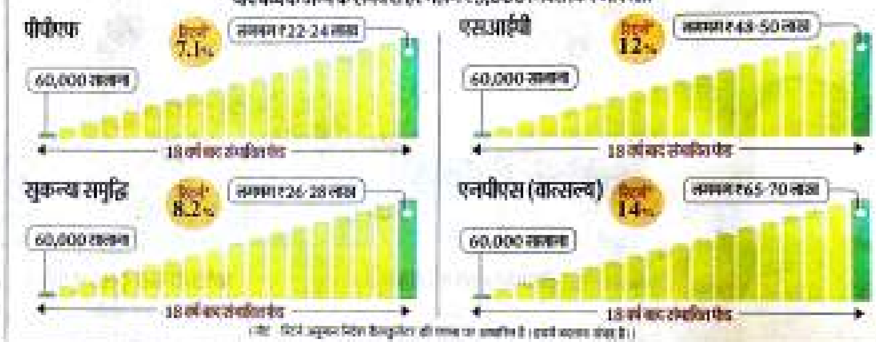

कैसे निवेश करें : पीपीएफ या सुकन्या खाता खोलने के लिए डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में जाएं। आवश्यक दस्तावेज जमा करें [illegible] राशि के साथ खाता खोलें।

3. म्यूचुअल फंड एसआईपी

बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश की बात हो तो एसआईपी के माध्यम से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश को सबसे प्रभावी विकल्पों में गिना जाता है। यदि बच्चे के जन्म से ही हर महीने 2,000 से 5,000 रुपये का निवेश शुरू किया जाए और उसे 15 से 20 वर्षों तक जारी रखा जाए, तो चक्रवृद्धि का लाभ बड़ी पूंजी तैयार कर सकता है।

कैसे निवेश करें : किसी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या एएमसी के माध्यम से केवाईसी पूरी करें। बैंक खाता लिंक करें। मासिक निवेश राशि तय करें। ऑटो-डेबिट सुविधा सक्रिय करें।

5. सोने में निवेश विकल्प सही

पारंपरिक रूप से भारतीय परिवार बच्चों के लिए सोना खरीदते रहे हैं। अब भौतिक सोने के बजाय गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए बनने वाले मुख्य फंड का अधिकांश हिस्सा केवल सोने में नहीं होना चाहिए।

कैसे निवेश करें : गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। माता-पिता या अभिभावक अपने नाम से खाता खुलवाकर बच्चों के लिए निवेश शुरू कर सकते हैं।

Nippon india Mutual Fund
Wealth sets you free

एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि लोगों ... ट्रैक और साइकलिंग रूट होंगे।

यूरिन इन्फेक्शन पर बेअसर एंटीबायोटिक दवाएं

सेहत

- विशेषज्ञों ने 100 से अधिक लोगों पर दो वर्ष तक किया अहम शोध
- मरीजों पर जीवनरक्षक दवाएं बेअसर, इलाज हुआ बेहद जटिल

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। आमतौर पर यूरिन इन्फेक्शन (यूटीआई) के इलाज में दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अब मरीजों पर बेअसर साबित हो रही हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के प्रोफेसर मो. असलम के अनुसार, सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण मरीजों के स्वास्थ्य का जोखिम 40 फीसदी तक बढ़ सकता है। इस संबंध में 100 से अधिक मरीजों पर दो वर्षों तक अहम शोध किया गया। उन्होंने पाया कि यूटीआई के मरीजों में एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता (दवा बेअसर होना) 20 से 40 फीसदी तक पहुंच गई है, यानी दवाएं अब काम नहीं कर रही हैं।

इस संक्रमण की एडवांस स्टेज का इलाज कई स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए जरूरी है कि बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं न लें, नहीं तो समस्या जटिल हो सकती है।

बैक्टीरियल संक्रमण है यूटीआई : ध्यान रहे कि यूटीआई एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जिससे जलन, दर्द, बार-बार पेशाब आना और पेट में दर्द जैसी दिक्कतें होती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

क्या आप जानते हैं

डॉक्टर ने बनाई थी पहली 'आइस मशीन'

14 जुलाई 1850 को दुनिया में पहली बार मशीन से बनाई गई बर्फ का प्रदर्शन हुआ था। इसे फ्लोरिडा के डॉक्टर जॉन गोरी ने बनाया था। उनका मकसद मरीजों को गर्मी और बीमारियों से राहत देना था।

- एक पार्टी में मेहमानों के सामने पहली बार मशीन से जमी बर्फ पर शैंपेन परोसी गई थी।
- उस दौर में लोग गर्म वाइन पीने के आदी थे, इसलिए ठंडी शैंपेन देखकर हर कोई हैरान रह गया।
- साल 1841 में येलो फीवर (पीला बुखार) नाम की महामारी बहुत बुरी तरह फैली हुई थी।
- डॉक्टर गोरी ने निष्कर्ष निकाला कि यदि मरीजों के कमरे ठंडे हों तो उनका बुखार कम हो सकता है।

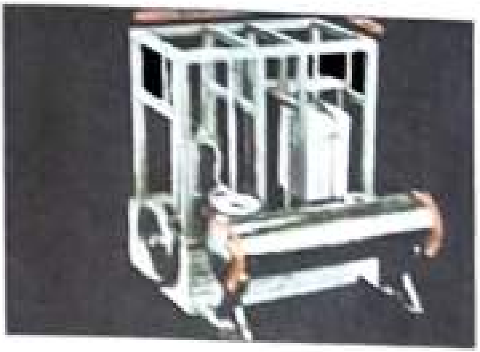

- उन्होंने एक मशीन बनाई, जो हवा को कंप्रेस (दबाव डालना) करके पानी को बर्फ में बदल देती थी।
- यह कृत्रिम रूप से बर्फ बनाने और हवा ठंडी करने वाला पहला अनोखा डिवाइस था।

रहने के साथ-साथ सेहत का ख्याल रखेगा नया द्वीप

अबू धाबी, एजेंसी। अबू धाबी के फाहिद द्वीप पर दुनिया का पहला 'वेलनेस आइलैंड' बनाया जा रहा है।

11 अरब डॉलर की लागत वाला यह प्रोजेक्ट साल 2029 तक पूरी तरह खुलकर तैयार हो जाएगा। इसे सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि लोगों के रहने के लिए बनाया जा रहा है। यहां छह हजार से ज्यादा घर होंगे। इसे ऐसे डिजाइन किया जा रहा है ताकि यहा रहने वाले लोगों की सेहत बेहतर हो सके। यहां 10 किलोमीटर लंबा बर्म पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें रनिंग ट्रैक और साइकलिंग रूट होंगे।

नालियां जाम और सड़ रहा कचरा, संक्रामक रोगों का खतरा

- दूषित जल की निकासी प्रभावित, वर्षा होने पर लोगों के घरों में घुस जाता है गंदा पानी
- इलाके में नहीं होती है नियमित सफाई, अधिकांश गलियां और सड़कें भी बदहाल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : बजबजाती नालियां, गलियों में जगह-जगह भरा गंदा पानी और कचरे के ढेर। टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त गलियां। यह सब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हरि नगर वार्ड की पहचान बनते जा रहे हैं। आठ कालोनियों और गांव के निवासी संक्रामक रोग फैलने की आशंका जताते हुए कचरे से जाम नालियों और गलियों की सफाई कराने की लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। वहीं, हरि नगर गांव की मेन गली के पास ही आवास और दफ्तर होने के बाद भी स्थानीय पार्षद भी समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाए हैं।

हरि नगर वार्ड में सड़क के किनारे फेंका गया कचरा • सौजन्य: सुर्वी पाठक

हरि नगर वार्ड स्थित ए-ब्लाक की गली में नाली चोक होने से भरा गंदा पानी • जागरण

क्षेत्र की एक कालोनी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव के मुताबिक, गलियों से लेकर सड़कों की नालियों तक में कचरा भरा है। कई जगहों से हफ्तों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता। एमसीडी कर्मचारी क्षेत्र के लिए नियुक्त हैं, फिर भी न तो सड़क व गली साफ रहती है और न ही नालियों की सफाई नियमित होती है। एक अन्य कालोनी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष युनुस खान के मुताबिक, कचरे से नालियां चोक हैं। पहले जहां वर्षा का पानी आराम से निकल जाता था, वहीं अब हल्की बारिश होने पर भी घुटनों तक पानी भर जाता है। स्थानीय निवासी बीपी शर्मा, ओम मिश्रा, विवेक पांडे, धीरज ठाकुर ने नियमित कचरा उठान व नालियां साफ कराए जाने की मांग की है। वहीं, समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद निखिल चपराना का कहना है कि यह इलाका नीचे है। गलियां व सड़कें ऊंचा करके नए सिरे से बनाने के लिए आवेदन स्थानीय विधायक को दिया गया है। बजट का प्रविधान होते ही काम कराए जाएंगे। वहीं, सफाई को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे कूड़ेदान में ही कचरा डालें।

प्रदूषण पर लगाम लगाएगा 'धूल पोर्टल 2.0'

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: निर्माण व विध्वंस स्थलों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफार्म 'धूल पोर्टल 2.0' और इसका मोबाइल एप शुरू किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा तैयार यह आधुनिक प्लेटफार्म एआइ की मदद से धूल नियंत्रण के उपायों की सीधी निगरानी करेगा। पोर्टल 1.0 में अपेक्षाकृत कम विशेषताएं थीं।

सचिवालय में डस्ट पोर्टल 2.0 का शुभारंभ करतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साथ में मौजूद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा व अधिकारी विजय कुमार बिधूड़ी • हरीश कुमार

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के वायु प्रदूषण में निर्माण गतिविधियों और सड़क की धूल बड़ा कारण है। गर्मियों में यह कुल प्रदूषण का करीब 27 प्रतिशत और सर्दियों में 15 प्रतिशत हिस्सा बनती है। पीएम-10 उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 66 प्रतिशत और पीएम-2.5 में 38 प्रतिशत है। इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित वरिष्ठ अधिकारी रहे। डीपीसीसी अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी रूप से यह पोर्टल जीआइएस मैपिंग, 360 डिग्री कैमरों और पीएम-10 व पीएम-2.5 सेंसर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है।

प्रकृति से सामंजस्य बैठाने का समय

वर्षा ऋतु केवल मौसम का एक बदलाव ही नहीं, बल्कि इस धरती पर नवसृजन और संवर्धन का साक्षात आगमन है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में प्रकृति को कभी भी मनुष्य से अलग नहीं देखा गया, बल्कि उसे एक परिवार के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन आज पर्यावरण संकट, ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट जैसी चुनौतियां हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ मूलभूत सुधार करने होंगे। यदि समाज कुछ विशेष आग्रहों और संकल्पों को अपनी जीवनशैली और कार्यशैली का हिस्सा बना ले, तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वर्तमान में 'एक पेड़ मां के नाम' *अभियान पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले रहा है। इस अभियान के अंतर्गत* समाज के प्रत्येक परिवार को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वे कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसके संरक्षण, पोषण और सुरक्षा का एक पवित्र संकल्प भी लें। जंगलों का जो कटान हुआ है और कंक्रीट के जैसे जंगल खड़े हुए हैं, उसके कारण भी तापमान में भारी वृद्धि हो रही है।

वृक्षों के साथ ही जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है। जल के बिना इस सृष्टि की गति रुक जाएगी, इसीलिए हमारे समाज में यह गहरा भाव हमेशा से रहा है कि 'जल है तो कल है', लेकिन आधुनिक सुख-सुविधाओं और लापरवाही के कारण हमने अपने जल स्रोतों की घोर उपेक्षा की है। आज हमारे पारंपरिक तालाब सूख चुके हैं, कुएं कचरे से भर गए हैं और नदियों का जलस्तर घट रहा है। भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण पानी का संकट गहराता जा रहा है। इस गंभीर समस्या का समाधान केवल सरकारी नीतियों से नहीं हो सकता, इसके लिए व्यापक जनभागीदारी की अत्यंत आवश्यकता है। हमें आगे आकर अपने तालाबों, पोखरों, अमृत सरोवरों, प्राचीन कुओं और अन्य सभी पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और उनकी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही, वर्षा ऋतु में जो असीमित जल आसमान से गिरता है और बहकर व्यर्थ चला जाता है, उसे सहेजना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

डा. दीपक कोहली

यदि हम कुछ विशेष आग्रहों और संकल्पों को जीवनशैली का हिस्सा बना लें, तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं

पर्यावरण संरक्षण को लेकर और बढ़े जागरूकता • फाइल

हमें घरों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और विभिन्न व्यापारिक एवं सामाजिक संस्थानों में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणालियों को स्थापित करना होगा और इसे एक जन अभियान का रूप देना होगा। जब वर्षा का जल सहेजा और सीधे जमीन के भीतर जाएगा, तो भूगर्भ जल का स्तर फिर ऊपर आएगा और आने वाली पीढ़ियों को पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पिछले कुछ दशकों में रासायनिक खादों, यूरिया और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण हमारी उपजाऊ भूमि की सेहत बुरी तरह से खराब हुई है। मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति नष्ट हो रही है और दूषित अन्न खाकर हम तरह-तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हमें जैविक और प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा। जैविक खेती का सीधा अर्थ है प्रकृति के नियमों के अनुसार खेती करना। जब किसान इस पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएगा, तो इससे न केवल हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि अनाज भी शुद्ध और पौष्टिक होगा। यह बदलाव हमारे परिवार, हमारे समाज और पूरे देश को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करेगा तथा हमारी कृषि व्यवस्था को अधिक समृद्ध, टिकाऊ और नई मजबूती प्रदान करेगा।

वर्षा ऋतु का मौसम जहां खुशहाली और नवजीवन लेकर आता है, वहीं यह अपने साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियां भी लेकर आता है। इन दिनों में थोड़ी सी भी लापरवाही जलजनित और संक्रामक रोगों को जन्म देती है। इसलिए हमें सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करना होगा और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करनी होगी ताकि जल प्रवाह सुचारु रूप से चलता रहे। बिजली गिरने से सैकड़ों बेगुनाह लोगों और बेजुबान पशुओं की असामयिक मृत्यु हो जाती है। हमें वज्रपात की घटनाओं का पूर्वानुमान तो नहीं मिल पाता, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार, भारी बारिश या अतिवृष्टि के कारण नदियों, नहरों, बांधों और अन्य स्थानीय जलाशयों का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हालांकि, शासन और प्रशासन ने इन सभी प्राकृतिक चुनौतियों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक और पुख्ता तैयारियां की हैं, लेकिन हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती, जब तक उस समाज का प्रत्येक नागरिक स्वयं सतर्क, सजग और अनुशासित न हो।

जब हम अपनी धरती को केवल उपभोग की एक वस्तु मान लेते हैं, तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से डगमगा जाता है। आज हम दुनिया भर में जो बेमौसम बारिश, अत्यधिक सूखा, भयानक बाढ़ और असहनीय गर्मी का प्रकोप देख रहे हैं, वह कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा संतुलन बहाल करने का एक कठोर प्रयास है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, सुंदर और जीवंत पृथ्वी मिले, तो हमें अपनी आदतों और सोच को बदलना ही होगा।

(लेखक पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी हैं)
response@jagran.com

• DEMOGRAPHY

More births, deaths being recorded: Benefits, gaps

Improved counting of births and deaths could transform demographic and public-health planning, but the system and data still raise questions

EXPERT EXPLAINS

MORADHVAJ DHAKAD

SCIENTIST, MARIE CURIE RESEARCH FELLOW AT MAX PLANCK INSTITUTE FOR DEMOGRAPHIC RESEARCH, GERMANY

INDIA OFFICIALLY recorded more than 99% of its estimated births and deaths in 2024, according to the latest official data released earlier this month. This marks a significant increase in coverage in around a decade.

Data on births, deaths and stillbirths are recorded under a continuous and compulsory mechanism known as the Civil Registration System (CRS). It serves as a foundational source of India's population data — how many people are being born, how many are dying, where these events are occurring, and so on — for the accurate estimation of mortality, fertility and sex ratio at birth.

India nearing universal registration signals movement towards building a system in which every birth and death can be counted, certified, and ultimately used to inform public policy.

What has the path to universal registration been like?

The CRS has been legally operational since 1970, though the coverage and completeness of reporting were historically poor. The system operates under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, which was amended in 2023. Births and deaths are ordinarily required to be reported within 21 days. In hospitals, the medical officer in charge or an authorised official is responsible for reporting such events. For events at home, responsibility generally lies with the head of the household or another prescribed informant.

Until 2000, India registered only 56% of births and 49% of deaths. By 2014, this figure rose to around 86.8% and 72.5%, respectively.

Registration coverage also varied considerably, both by rural-urban location and across states.

The latest CRS report, from the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India under the Home Ministry, shows coverage approaching 100%. In 2024, birth registration reached 99.1% and death registration reached 99.4%. Death registration has historically lagged behind birth registration, but it has since caught up rapidly. This marks a major shift for a country that historically had incomplete civil registration and relied heavily on surveys to estimate fertility and mortality.

The improvement is also visible across states. In 2024, 18 states and Union Territories achieved 100% birth registration, while 21 states and UTs achieved 100% death registration.

• LEVEL OF REGISTRATION OF BIRTHS, 2024

States in grey have at least 90.1% registration of births

STATES SUCH as Kerala, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, and Goa achieved universal birth registration coverage by the early 2000s.

BUT DEATH registration coverage lagged. Only Goa, Mizoram, and Kerala achieved universal coverage by that period.

TODAY, MOST states have very high rates of registration of births.

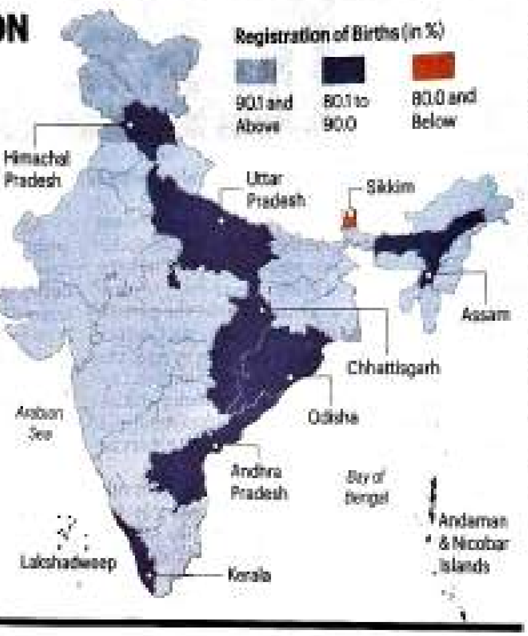

Why does the data matter?

A complete CRS is one of the most important sources of vital statistics. It is a crucial input for administrative use, assessing the impact of health and social policies, and understanding trends in fertility, mortality, and population change.

Timely registration of births and deaths can provide real-time information on demographic changes and population health. For example, during a health crisis like the Covid-19 pandemic, timely reporting of deaths was crucial for identifying high-risk areas and controlling the spread of the disease. CRS is also important for understanding seasonal mortality changes, driven by high temperatures and pollution.

Because of the CRS's historically poor coverage, India has traditionally depended heavily on the Census, the Sample Registration System (SRS), and household surveys for estimates. But the Census is conducted only once every 10 years, and sample surveys do not provide reliable annual estimates at the district level.

A complete CRS can support local planning under decentralised governance, since district and sub-district level data are far more useful for programme design than national or state-level estimates alone. Registrations also enable individuals to prove their identity from a legal standpoint.

Higher registration

The rapid rise in registration for births and deaths is likely due to a combination of factors.

•

Increasing incentives for documentation to avail welfare and other benefits may be among the key drivers.

What explains the shift in data?

The rapid rise in registration is likely due to a combination of factors.

For births, the increase in institutional deliveries in hospitals or health facilities, incentivised by post-delivery benefits, is an important driver — making the event more likely to be reported and registered. Birth certificates are also now necessary for school admission, identity documents, welfare benefits and other official purposes, strongly incentivising registration.

Similarly, death registration may have increased because more people are accessing formal healthcare, including through expanded health insurance and public health schemes. The expansion of schemes, particularly the PM-JAY, has increased coverage among poorer and vulnerable households. Families also require death certificates for pensions, insurance, inheritance, property transfer, bank accounts and other administrative processes.

Digitisation may have also played a role. The Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023, marked an important step by the Government of India towards making civil registration more complete, timely, and accessible.

By making the birth certificate an essential document for education and enrolment for Aadhaar and voter ID, the amendment gives families a strong incentive to register every birth. However, much will depend on effective implementation, digital access, and consistent monitoring.

The state-level variations can be traced to differences in socioeconomic development, public awareness, institutional delivery, health-system access and administrative capacity. States are responsible for the registration machinery.

What gaps remain?

First, regional disparities remain a major concern.

Second, timely registration is a challenge. Many births and deaths are not registered within the prescribed 21-day period.

The most important gap concerns infant death registration. The report shows that 84.2% of registered infant deaths occur in urban areas, compared with only 15.8% in rural areas. Since a large share of population still lives in rural areas, where early-age mortality is higher, this pattern may indicate under-registration of infant deaths.

Then there is the quality of information. Registering a death is not the same as recording a medically certified cause of death. Many deaths may still lack reliable medical certification, limiting the usefulness of CRS for disease and mortality analysis.

Finally, the completeness of death registration is itself estimated using SRS figures. However, previous studies have shown that the SRS undercounts both births and deaths, which may lead to an overestimation of CRS coverage.

Building on the progress thus far, the next stage of improvement must focus not only on coverage but also its quality — including timely registration, accurate records, and responsible use of digital data.

India could further consider a system for recording internal migration, which would strengthen administrative planning